फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

[प्रार्थी] : श्री पुरूषोतमलाल — बनाम — विपक्षी : श्री मनोहरलाल

[नाम] मुकदमा – 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिता — पत्रावली संख्या : 01/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से पालना रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में डिक्री अनुसार पालना किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा पालना रिपोर्ट में बताया कि मौजा मेनपुरिया के साबिक आराजी न. 740 के नये नम्बर 1572 बने जो कि वर्तमान में तेजशंकर पिता मनोहरलाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. रूण्डेडा, प्रभुलाल 1/4 प्रेमशंकर 1/4, शिवनारायण 1/4 पिता परसराम ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन आई.सी.आई.सी.आई भीण्डर हिस्सा प्रेमशंकर दर्ज रेकर्ड हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा श्री तेजशंकर एवं प्रेमशंकर के हिस्से पर क्रमशः एस.बी.आई. रूण्डेडा एवं आई.सी.आई.सी.आई भीण्डर का रहन होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने पाया की प्रकरण में डिक्री दिनांक 27.02.2019 को जारी की जा चुकी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर बैंक का रहन होने से डिक्री की पालना को नहीं रोका जा सकता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिता का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता हैं कि डिक्री अनुसार डिक्री की पालना करें साथ ही एस.बी.आई रूण्डेडा एवं आई.सी.आई.सी.आई भीण्डर को आदेशित किया जाता हैं कि वह लोन की राशि बाकीदार की अन्य भूमि से वसूल करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:21:02 IST
Reason: SelfAttested